रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र०,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सनातनधर्म सरस्वती शिशु मंदिर
हायर सेकेण्डरी स्कूल, कंकरखेड़ा
मेरठ

पत्रांक–क्षे० का० मा० शि० प०/मान्यता/ 2356 दिनांक 8-11-05

विषय ______ विद्यालय को ~~हाई स्कूल~~/इण्टर मानविकी एवं वैज्ञानिक वर्ग नवीन की मान्यता

महोदय,

आपके विद्यालय के मान्यता के प्रकरण पर शासन ने विचारोपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा संशोधन (अध्यादेश), 1987 की धारा 7 क (क) के अन्तर्गत आदेश प्रदान किया है कि विद्यालय को उक्त मान्यता का पत्र वर्ष 2007 की परीक्षा से तब निर्गत किया जाय जब निम्नलिखित सूचना/प्रपत्र निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से परिषद् कार्यालय में प्राप्त हो जाय। अतएव आप वांछित सूचना/प्रपत्र निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से तत्काल प्रेषित करें, जिससे उक्त वर्ग/विषय की मान्यता का पत्र निर्गत करने संबंधी अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

1–प्रबन्ध तंत्र का इस आशय का पारित प्रस्ताव कि उक्त वर्ग/विषय की मान्यता हेतु निजी स्रोतों से की जाने वाली अंशकालिक अध्यापकों के सेवायोजन व्यवस्था को अध्यापन कार्य के निमित्त स्वीकार किया जाता है इस हेतु किसी अनुदान की अपेक्षा न कर निजी स्रोतों से व्यय वहन किया जायेगा। प्रस्ताव निरीक्षक द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है।

2–उक्त मान्यता हेतु नकद या बैंक प्रत्याभूति के रूप में 5000+5000 = 10,000/- रुपया (दस हजार) प्रतिभूति देय है यह प्रतिभूति निर्धारित सुरक्षित कोष प्रासूत कोष के अलावा होगा। जमा धनराशि निरीक्षक के पद नाम बन्धक होना चाहिए।

(कृ० प० उ०)

Seen
DJB
Malin
22/12/20

विद्यालय के अन्तर्गत विद्यमान भूमि अथवा सम्पत्ति के निम्न प्रमाण पत्र :-

सम्पत्ति को केवल विद्यालय के नाम अंकित होने के संबंध में रजिस्ट्रेशन परिलेख ([illegible]) मूल रूप में।

1–सम्पत्ति के मूल्यांकन व वार्षिक आय के संबंध में [illegible] द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की [illegible] अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि।

2–सम्पत्ति के भार रहित एवं विवाद रहित होने के संबंध में [illegible] अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की [illegible] अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि।

3–चार रुपये पचास पैसे के स्टाम्प पेपर पर प्रबन्धक का शपथ-पत्र जिसमें [illegible] अन्तर्गत की गयी सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति का मूल्यांकन ___x x___ तथा वार्षिक आय ___x x___ है। सम्पत्ति हर प्रकार के भार एवं विवाद से मुक्त है। सम्पत्ति बिना निरीक्षक अधिकारी की लिखित अनुमति के न बेची जायेगी न गिरवी रखी जायेगी और न हस्तान्तरित की जायेगी, का स्पष्ट उल्लेख हो का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित मूल रूप में हो।

4–विद्यालय भवन में प्राइमरी कक्षाएं संचालित हैं या अलग भवन में संचालित नहीं हैं। स्पष्ट किया जाय।

5–विद्यालय में उपलब्ध खेल के मैदान के स्वामित्व के संबंध में प्रमाण-पत्र मूल रूप में दिया जाय।

6– ______________________________

____

____

____

____

भवदीय,

उप सचिव।

31-7-02

प० सं० क्षे० का० मा० शि० प०/मान्यता/ 2356-1 दिनांक 8-11-02

प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित है कि वे कृपया संस्था से क्रम दो (2) पर अंकित प्राप्त कर क्रम ___x___x___x___ के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट व विवरणात्मक आख्या प्रेषित करें।

उप सचिव।

31-7-02

पी०एस०यू०पी० (आर०आर०)–59 मा०शि०प० 18-9-2001—10,000 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसैट)

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय,मेरठ

सेवा में ,

प्रबन्धक ,
सनातन धर्म सरस्वती शिशु मन्दिर इण्टर कालेज,
कंकरखेड़ा, मेरठ

पंत्रांक : मा0शि0प0 / मान्यता / मे0 / 1263 दिनांक– 28/11/2011

विषय: इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये ~~नवीन~~/अतिरिक्त वर्ग/~~विषय~~ की मान्यता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एंव सभापति ,माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क)के अन्तर्गत आपके विद्यालय सनातन धर्म सरस्वती शिशु मन्दिर इण्टर कालेज, कंकरखेड़ा, मेरठ को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष 2013 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषय मे सामान्य व विशेष प्रतिबन्ध के साथ ~~नवीन~~/अतिरिक्त वर्ग/~~विषयों~~ मे मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा 7क (क)कं प्राविधानें के अधीन प्रदान किया है ।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के प्राविधानो के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था ,शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा ,शिक्षण सामग्री ,प्रयोगशाला ,भूमि/भवन ,पुस्तकालय ,प्राभूत, सुरक्षित कोष एंव आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धो की पूति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराये।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एंव परिषद को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र मे अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें सचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1987 की धारा 7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत लागू होगे । इस निमित्त कोई अनुदान देय नही होगा ।

कृ0प0उ0

प्राप्त 13-12-11

Seen 22/12/20

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है , अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ,जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एंव कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओ के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगे, अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी ।

(ग)

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर वाणिज्य	हिन्दी ,अंग्रेजी,बहीखाता तथा लेखाशास्त्र,व्यापारिक संगठन पत्र व्यवहार एंव बाजार विवरणी ,अधिकोषण तत्व,गणित तथा प्रारम्भिक सांख्यकी,अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल	अतिरिक्त वर्ग

टिप्पणी – इस पत्र में अकित समस्त सामान्य एंव विशेष प्रतिबन्धो की पूर्ति 6(छः)माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा ।

भवदीय

क्षेत्रीय सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय ,मेरठ

दिनांक–

पृष्ठांकन सं0: आई0वीमान्यता /मे0/

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियो को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 जिला विद्यालय निरीक्षक ,मेरठ।
2 संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ,मेरठ।
3 इन्टर परीक्षा अनुभाग ,माध्यमिक शिक्षा परिषद,क्षेत्रीय कार्यालय ,मेरठ।
4 सचिव ,माध्यमिक शिक्षा परिषद ,मुख्य कार्यालय ,इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय,मेरठ